शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 244.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 1997, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, इंजीनियर अधिकारी (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2000 जहां तक वे सलाहकार (परिवहन और संचार) और सहायक इंजीनियर (सिविल), इंजीनियर अधिकारी (सिविल)/कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पदों के संबंध में है का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन और संचार) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. निरर्हता .—जिसने

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक इंजीनियर (सिविल)	02* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 6500-200-10500	लागू नहीं	नहीं

7	8	9	10
35 वर्ष (केन्द सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य कोटि के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय।) **नोट 1 :** आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी परन्तु असम,मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि अलग होगी। **नोट 2 :** रोजगार कार्यालयों के उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह तिथि होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री; (i) सिविल इंजीनियरी कार्य में दो वर्ष का अनुभव **नोट 1 :** उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। **नोट 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभवना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती से नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों के लिए दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती नोट : पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण दूर रहने से एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र सरकार के उन अधिकारियों द्वारा भरा जा सकता है जो : (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हों; या (ख) कालम 8 में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं

13	14
वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) : 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —अध्यक्ष 2. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य 3. सलाहकार (परिवहन और संचार) या अधीक्षण इंजीनियर (सिविल,) पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य	पद भरने के लिए तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/24/2001]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Advisers (Group 'A') Recruitment Rules, 1997, and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 1997, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Engineer Officer (Civil) and Executive Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Adviser (Transport and Communication) and Assistant Engineer (Civil), Engineer Officer (Civil),/Executive Engineer (Civil) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Transport and Communication), Superintending Engineer (Civil), Executive Engineer (Civil) and Assisstant Engineer (Civil) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong., namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of Post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Ex-servicemen other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6
4. Assistant Engineer (Civil)	02* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	No

7	8	9	10
35 years. (Realxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those (in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2** : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential :** (i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Two years' experience in civil engineering work. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of Candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for Direct Recruits

11	12
Direct Recruitment : **Note :** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration	Not applicable

11
of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation) : 1. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Deputy Secretary or Director (Administration), North Eastern Council Secretariat —Member 3. Advisor (Transport and Communication) or Superintending Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

[F. No. NEC/ADM/24/2001]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.